



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

13 श्रावण 1942 (श10)
(सं0 पटना 433) पटना, मंगलवार, 4 अगस्त 2020

नगर विकास एवं आवास विभाग

अधिसूचना

28 जुलाई 2020

सं० 5 न०वि०/निर्वा-01/2020-2487/न०वि०एवंआ०वि०— सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना के पत्रांक 757 दिनांक 03.07.2020 द्वारा नगर पंचायत परसा बाजार (सारण) का कार्यकाल दिनांक 31.07.2020 को समाप्त होने तथा दिनांक 02.04.2020 से राज्य निर्वाचन आयुक्त का पद रिक्त होने के कारण नगर पंचायत परसा बाजार का पुनर्गठन हेतु आम निर्वाचन की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो सकने का उल्लेख किया गया है।

2. चूंकि नगर पंचायत परसा बाजार का पाँच वर्ष के उपरांत अवसान की तिथि दिनांक 31.07.2020 को पूर्ण हो जायेगी, अतएव बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 12 (9) के प्रावधानों के तहत दिनांक 01.08.2020 के प्रभाव से उक्त अधिनियम या प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन उक्त नगरपालिकाओं में निहित सभी शक्ति और कृत्यों का प्रयोग या संपादन करने हेतु जिला पदाधिकारी, सारण (छपरा) या उनके द्वारा प्राधिकृत अपर समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी को प्रशासक नियुक्त किया जाता है।

3. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अरविन्द कुमार झा,
सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 433-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>